اخباروں میں یہ بات بار بار آ
چکی ہے کہ ہمارے دیش کے راز
دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں -

ادھیکش مہودے : یہ راز تو
نہیں ہے -

شری جمیل الرحمان : یہ معاملہ
بہت اہم ہے - یہ ہمارے ملک کی
سیکیورٹی کا معاملہ ہے - تو میں آپ
کی معرفت یہ عرض کر رہا تھا کہ
ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات
جانتے ہوئے کہ

the majority of the Indian people have voted for Mrs. Gandhi and have got faith in her.

(انٹرپشن) . . . .

یہ معاملہ بہت اہم ہے - بہت سے
باہری ایجنسی ہمارے ملک میں ڈی
سٹیبلائزیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں-
اس لئے میں بہت صاف طور پر
جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو
ہمارے ملک کے معاملے میں مداخلت
کرتے ہیں - اسکو میں اپنے ملک
میں اندرونی مداخلت سمجھتا ہوں-
کیا ایسے لوگوں کو نان گریٹا ڈکلیر کر
کے واپس بھیجا جائے گا - (انٹرپشن)]

MR. SPEAKER : Next question.

रेलवे अधिनियम का संशोधन

*258. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिनियम, 1980 में आमूल-चूल संशोधन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कोई पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ग) सरकार का सदन में नया कानून कब पेश करने का विचार है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) The Indian Railways Act is being revised with a view to bringing it in line with the present day circumstances.

(c) The Draft Railways Bill for amending the existing Indian Railways Act will be introduced in Parliament as soon as the review is completed.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूं । इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि The Indian Railways Act is being revised with a view to bringing it in line with the present day circumstances.'

आज 90 साल हो गए हैं उस एक्ट को...

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद आप उनका कर रहे हैं या मेरा कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्डियन रेलवेज एक्ट को रिवाइज करने का इरादा कब शुरु हुआ ? रेलवे ने उसका ड्राफ्ट बिल तो बना दिया, उसे लॉ मिनिस्ट्री में कब भेजा गया और आप उसे सदन में कब रखने

[श्री मूलचन्द डागा]

वाले हैं या आपका इरादा ऐसा ही है ? कदम बढ़ नहीं रहे हैं, कदम रुके क्यों हुए हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता समझते हैं और इस मामले में जो ड्राफ्ट है, वह ला-मिनिस्ट्री और कैबिनेट को समरी के साथ व होम मिनिस्ट्री को भी भेज दिया जाएगा और इसमें परिवर्तन अवश्य होकर रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। संशोधन करने का काम कब शुरु किया है व कितने साल आपको लग गए हैं और आपने कौन सी तारीख को ला-मिनिस्ट्री को भेजा है और उसकी एप्रूवल कब आई और इसको आप से कब सदन में पेश करने के लिये कहा गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, हम सदन में पहले ही बता चुके हैं कि ड्राफ्ट बिल तैयारी में है और जैसे ही वह तैयार होगा....

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछना चाहता हूं कि कब शुरु किया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : शुरु और अन्त करने की बात अलग है, एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, वह हो जाएगा।... (व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि रेलवे अधिनियम, 1890 में आमूलचूल संशोधन की आवश्यकता है और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कौन-कौन से मुद्दे हैं बुनियादी परिवर्तन करने के लिए जिन में आप परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (श्री केदार पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सवाल में कह दिया था कि इन्डियन रेलवे एक्ट, 1890 में संशोधन की जरूरत है और इसमें बहुत सी कार्यवाही हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अगले बजट सैशन में आ सकता है। उसमें हमारे उद्देश्य हैं :

(i) to make the provisions more rational and intelligible:

(ii) to make changes—which have become necessary in the light of changed situations and policies;

(iii) to remove the difficulties caused by judicial decisions;

(iv) to delete such portions as have become obsolete or redundant;

(v) to simplify and speed up procedures wherever possible; and

(vi) to bring about wherever necessary, substantial changes as would facilitate a more efficient working of the Railways.

इस तरह से बहुत से उद्देश्य हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब भारत गुलाम था, उस वक्त का यह एक्ट है, इतने साल इस को हो गये हैं। हम यह जरूर महसूस करते हैं कि इस में परिवर्तन और सुधार की जरूरत है और शीघ्र करेंगे।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION.

Provision of Wagons to South Eastern Railways

*245 SHRI HARIHAR SOREN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether his Ministry has a proposal to augment its wagons fleet by an additional 11,500 by March, 1981;

(b) whether there is any proposal to provide some more wagons to the South Eastern Railway, particularly to Banspani Railway siding to expedite the movement of iron ore, manganese and other